



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 538226

(प्रारूप-“अ”)

शपथ-पत्र

हम जयराम यादव एव अजय कुमार यादव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव अथान एजुकेशनल ट्रस्ट, ग्रा०-महुई पो०-करीदी जि०-देवरिया उ०प्र० शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं-

1 यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा बहादुर यादव कालेज ऑफ फार्मसी, रामपुर खुरहुरिया, नगर पंचायत भटनी, देवरिया नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र-2023-2024 से किया जाना प्रस्तावित है।

2 यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम ग्रा०-रामपुर खुरहुरिया तप्पा -वरसीपार परगना-मझौलीराज सलेमपुर तहसील-सलेमपुर देवरिया में स्थित गाटा संख्या 181 ख, 171, 182 एवं 178 कुल रकबा 0.323 1/136 हेक्टेयर भूमि है।

3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी बाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4 यह कि, उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 181 ख, 171, 182 एवं 178 कुल रकबा 0.323 1/136 हेक्टेयर भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20.07.2020 द्वारा पारित किया गया है।

5-यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्ररनगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया है।



अथान एजुकेशनल ट्रस्ट
ग्रा०-महुई, पो०-करीदी
जि०-देवरिया (उ०प्र०)

जयराम यादव
प्रबन्धकीय न्वासी
अथान एजुकेशनल ट्रस्ट
ग्रा० महुई पो० करीदी
जि०-देवरिया (उ०प्र०)

6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उसपर निर्मित एवं निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7 यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमो के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8 यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9 यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनो में फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और नही भविष्य में कभी किया जायेगा।


10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11 यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12 यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशो का भली-भाँति पालन करुगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।

13 मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्णरूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा ऋद्धिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं को उत्तरदायी होऊँगा।


H. K. Singh
अयान एजुकेशनल ट्रस्ट
ग्राम-महुई, पो०-करीदी
जि०-देवरिया (उ०प्र०)


जयराम थाकुर
H. K. Singh
प्रबन्धकीय न्यायी
अयान एजुकेशनल ट्रस्ट
ग्राम-महुई पो० करीदी
जि०-देवरिया (उ०प्र०)



